

T.R. संताना / 2017/4803

310

व्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 व्यालियर सर्किट कैम्प रीवा म0प्र0



सुशीलचन्द्र मिश्रा तनय स्व0 चन्द्रभान प्रसाद मिश्रा उम्र 72 वर्ष पेशा खेती निवासी

R>30/-

ग्राम डोमा, पोस्ट कठ्ठा, तहसील थाना अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

अधिकारी सुरेश प्र0
पाठक छाता पेरा | 1-12-17

—निगरानीकर्ता

दरबाने लाल बोट
 व्यायालय मण्डल म0प्र0 राजस्व
 बनाम
 (सर्किट कैम्प) रीवा

1. ददर्हीराम तनय साधूराम
2. इन्द्रपती तनय ददर्हीराम ब्राह्मण
3. रामनरेश तनय ददर्हीराम ब्राह्मण
4. बेवा सुखमन्ती तनय ददर्हीराम ब्राह्मण
5. कामता प्रसाद तनय ददर्हीराम ब्राह्मण
6. उमाशंकर तनय ददर्हीराम ब्राह्मण
7. चन्द्रभान प्रसाद तनय दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण

सभी निवासी ग्राम डोमा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

8. शासन म0प्र0

—गैर निगरानीकर्तागिरि

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 12.09.17
 जो व्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सतना म0प्र0
 द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2012-13 मे पारित किया
 गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भ्र.सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ व्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.17 विधि प्रक्रिया के विपरीत, गलत, अनियमित व अवैधानिक होने से विरुद्ध किए जाने चाहय हैं।

Mhukmihani
sd.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4803

जिला—सतना

सुशीलचन्द मिश्र/ ददई राम बगेर

(1)	(2)	(3)
०५।४।७	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 13/पुनिरक्षण/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशवन्न चौधरी) सदस्य</p>	